न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

निष्पादन वाद संख्या 533/2022 (पुराना नंबर 18/2016)

बैंक आफ बडौदा बनाम अनुज वोहरा और अन्य

दिनांकः 24-09-2024

वाद पुकारा गया। डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। निर्णीतऋणीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

डिक्रीदार द्वारा आदेश 21 नियम 66 उपनियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 42ग प्रस्तुत कर इजराय की धनराशि एवं नीलाम की जाने वाली संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उक्त इजराय कुर्कशुदा संपत्ति की नीलामी हेतु विचाराधीन है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि निर्णीतऋणी की संपत्ति की कुर्की हेतु जारी अधिपत्र कागज संख्या 37ग/1 के साथ अमीन द्वारा प्रस्तुत आख्या कागज संख्या 37ग/7 के अनुसार "दिनांक 25-04-2024 को डिक्रीदार पैरोकार के साथ कुर्की तलब स्थल पर पहुँचा तो यहाँ मकान पर ताला लगा मिला। आस-पास वालों से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि यह मकान काफी दिनों से बन्द पड़ा है और मदयून कहीं मकान छोड़कर चला गया है और काफी वर्षों से यहां नहीं आया। इसके बाद मेरे द्वारा कुर्की कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई गयी। फर्द तालिका मौके पर तैयार की गई और मौके की गवाही करा ली गई और कुर्की अधिपत्र की प्रतियाँ नियमानुसार चस्पा की गई और इस प्रकार कुर्की परवाने की तामील नियमानुसार अमल में लाई गई।"

कुर्की अधिपत्र कागज संख्या 37ग/1 के साथ संलग्न फर्द तालिका कागज संख्या 37ग/8 के अवलोकन से यह विदित होता है कि मकान संख्या 311 स्थित खसरा संख्या 5309 मौहल्ला न्यू मोहनपुरी, मेरठ शहर प्लाट संख्या 16 क्षेत्रफल 143.5 वर्गगज जिसेक पूर्व में रास्ता 15 फीट, पश्चिम में 20 फीट 09 इंच बादहू डॉ. भारद्वाज का मकान, उत्तर में 90 फीट बादहू श्री राम किशन गुप्ता का मकान और श्री सर्वेश कुमार शर्मा एडवोकेट का प्लाट एवं श्री शेषदत्त शर्मा एडवोकेट का मकान एवं दक्षिण में 90 फीट बादहू श्री रविशान वोहरा का प्लाट स्थित है, को अदालत अमीन द्वारा कुर्क कर लिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में निर्णीतऋणी के उपरोक्त मकान संख्या 311 को लोक नीलाम द्वारा विक्रय कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

दिनांक 30-04-2024 को इस न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि "डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आ रहे है, किन्तु निर्णीतऋणीगण की ओर से कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है। इसलिए विक्रय की उद्घोषणा तैयार करने हेतु निर्णीतऋणीगण को नोटिस निर्गत की जाये" तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30-04-2024 के अनुपालन में निर्णीतऋणीगण को प्रेषित नोटिस कागज संख्या 39घ/1, 39घ/3, 39घ/4 एवं 39घ/5 तथा 39घ/6 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, जिनके अवलोकन से यह विदित होता हैं कि उक्त नोटिसों पर

आदेशिकावाहक द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गई है कि "आज दिनांक 24-08-2024 को मौका तामील पर जाकर हरिकिशन वोहरा व अनुज वोहरा को तलाश किया तो मौके पर नहीं मिले। मौके पर मकान का ताला बन्द मिला। मकान नंबर 12 में हरिकिशन वोहरा का भाई मिला। हरिकिशन के भाई ने जुबानी बताया कि हरिकिशन यह मकान खाली करके परिवार सहित कही ओर जा चुका है न मालूम कहाँ पर रहता है। यह मकान 17-18 सालों से बन्द है। यह मकान बैंकों के पास मोर्गेज है। इसलिए दो परत समन/नोटिस उनके मकान के ताला बन्द दरवाजे पर चस्पा कर दिये तथा श्री जयप्रकाश को तलाश किया तो मौके पर नहीं मिला। मकान नंबर 1 के दरवाजे पर गार्ड मिला। गार्ड ने जुबानी बताया दिये गये पते पर जयप्रकाश नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। यह मकान बी.एन. अग्रवाल आदि का है। इसलिए एक किता नोटिस बिना तामील अदालत वापस है। आज दिनांक 25-08-2024 को मौका तामील पर जाकर श्री अशोक राव को तलाश किया तो मौके पर नहीं मिला। मौके पर मकान मालिक श्री आर.के. त्रिपाठी मिले। उसने जुबानी बताया कि अशोख राव बहुत वर्ष पहले इस मकान को मुझे बेचकर कही ओर चले गये है। मुझे नहीं मालूम कहां गये है। इस मकान में श्री आर.के. त्रिपाठी निवास करते है। इसलिए एक किता नोटिस बिना तामील सही पते के लिए वापस अदालत है।"

अतः वर्तमान मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की दृष्टि में अदालत अमीन द्वारा कुर्क किये गये उपरोक्त मकान संख्या 311 का लोक नीलाम के माध्यम से विक्रय कराया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 66 के अन्तर्गत उपरोक्त मकान संख्या 311 स्थित खसरा संख्या 5309 मौहल्ला न्यू मोहनपुरी, मेरठ शहर प्लाट संख्या 16 क्षेत्रफल 143.5 वर्गगज जिसेक पूर्व में रास्ता 15 फीट, पश्चिम में 20 फीट 09 इंच बादहू डॉ. भारद्वाज का मकान, उत्तर में 90 फीट बादहू श्री राम किशन गुप्ता का मकान और श्री सर्वश कुमार शर्मा एडवोकेट का प्लाट एवं श्री शेषदत्त शर्मा एडवोकेट का मकान एवं दक्षिण में 90 फीट बादहू श्री रविशान वोहरा का प्लाट स्थित है, को लोक नीलाम द्वारा विक्रय किये जाने हेतु नियमानुसार विक्रय की उदघोषणा जारी की जाये। इस निमित डिक्रीदार आवश्यक पैरवी करें। पत्रावली दिनांक 25-10-2024 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1,
मेरठ।

Digitally signed by SATYA NAND UPADHYAY
Date: 2024.09.24 16:58:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court